म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,मुख्यालय भोपाल

मुख्यालय : जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं. 462008

विपणन संघ

क्रमांक/लेखा/सामान्य/ 10768/16 भोपाल, दिनांक 18/3/2016

प्रति,

(1) जिला विपणन अधिकारी (समस्त)
(2) पशु आहार संयंत्र भोपाल
(3) मुख्य अभियन्ता,यॉत्रिकी/सिविल, मुख्यालय भोपाल

विषयः–वर्ष 2015–16 के मुख्यालय ऋण खाते का अंतिम रूप से मिलान एवं अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के संबंध में।

विपणन संघ का लेखा वर्ष 2015–16 (01–4–2015 से 31–03–16 तक) दिनांक 31–3–16 को समाप्त होने वाला है। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर मुख्यालय ऋण खाते का मिलान किया जाकर वित्तीय पत्रक तैयार किये जाना है। मुख्यालय द्वारा लेखा मिलान का निर्धारित तारीख वार कार्यक्रम तैयार कर संलग्न है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत तिथि पर आपके कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी को मुख्यालय में उपस्थित होकर मुख्यालय ऋण खाते का अंतिम रूप से मिलान कर वर्ष 2015–16 के अंतिम वित्तीय पत्रक तैयार कर प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं, जिनका कड़ाई से पालन कराने का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(1) मिलान हेतु जिलेवार तिथियां 20 अप्रैल, 2016 से निर्धारित की गई हैं।

(2) जिले के मिलान हेतु मुख्यालय में उपस्थित हुए लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी की उपस्थिति के रिकार्ड का संधारण मुख्यालय भवन के मुख्य द्वार पर स्थापित इलेक्ट्रानिक बायोमेट्रिक डिवाईस में किया जावेगा तथा डिवाईस से प्राप्त मासिक उपस्थिति रिपोर्ट को मार्कफेड के वेबसाईट पर "सरकुलर एण्ड आर्डर" में "स्थापना" के अंतर्गत अपलोड कर दिय जावेगा, जिसके आधार पर ही जिले में वेतन देयक तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु जिले के समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी द्वारा उपस्थिति के प्रथम दिन सर्वप्रथम डिवाईस में इनरोल किये जाने हेतु अपने अंगूठे का निशान वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय भोपाल को दिया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदिन कार्यालय में प्रवेश के समय सिस्टम पर अंगूठा निशानी प्रातः 10.30 बजे तक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय छोड़ते समय भी सिस्टम पर अंगूठा निशानी दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय में प्रवेश के समय अंगूठा निशानी की अनुपलब्धता रहने पर संबंधित की कार्यालय में अनुपस्थिति मानी जावेंगी तथा उस दिन के टी.ए. व डी.ए. की पात्रता भी नहीं होगी।

(3) म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा–56 एवं 58 में हुए संशोधन उपरान्त संस्था द्वारा अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक आमसभा के समक्ष 30 सितम्बर, 2016 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, चूक की दशा में रू. 50,000/–(रू.पचास हजार) तक आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। अतः समस्त जिले के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जिला स्तर से पूर्ण तैयारी कर निर्धारित तिथि पर मुख्यालय में लेखा मिलान हेतु उपस्थित होकर उपस्थिति से 10 दिवसों के भीतर "अंतिम वित्तीय पत्रक" प्रस्तुत करना एवं प्रस्तुति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर "अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक" प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। जिस कार्यालय की देरी के कारण यदि संघ पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित होता है, या अन्य कार्यवाही होती है, तो उसके लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) भौतिक सत्यापन, लेखा मिलान एवं अंतिम वित्तीय पत्रक निर्धारित तिथियों तक पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला विपणन अधिकारी एवं मंडल प्रबंधक की होगी। इसके अतिरिक्त इकाई

प्रमुख अपने जिले के समस्त व्यवसायिक कक्षों एवं लेखा कक्ष का मिलान तत्काल पूर्ण कराना एवं अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत कराने में वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही मुख्यालय द्वारा मेल किये गये जिले के ऋण खाते की कापी से मिलान कर दिनांक 31–3–16 पर मुख्यालय के खातों में दर्शित जिले का "शेष" एवं जिले के खातों में मुख्यालय ऋण खाता का "शेष" बराबर होना सुनिश्चित करें। यदि कोई एडवाईस मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई है अथवा जिले द्वारा भेजी गई एडवाईस मुख्यालय द्वारा लेखाबद्ध होने से रह गई है, तो संबंधित शाखा के शाखा प्रमुख से तत्काल सम्पर्क कर मुख्यालय से एडवाईस प्राप्त करें/जिले की एडवाईस भेजें एवं ऋण खातों का शेष बराकर होना सुनिश्चित करें।

(6) समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के बड़े लेनदार (डेब्टस) यथा खाद से संबंधित जिला सहकारी बैंक, सिविल सप्लाईज कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, डी0डी0ए0 एवं अन्य का दिनांक 31–03–2016 की स्थिति पर शेष रिकन्साइल होना चाहिए। अर्थात संघ की लेखा पुस्तकों में दर्शित उक्त लेनदार खाते का डेबिट शेष एवं संबंधित पार्टी की लेखा पुस्तकों में संघ के लेजर खाते में दर्शित क्रेडिट शेष बराबर होना चाहिए।

अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त बैलेन्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट संबंधित पार्टी के लेखा पुस्तकों अनुसार विपणन संघ की लेजर कापी के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) जिले के मिलान हेतु मुख्यालय में उपस्थित हुए लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को वरिष्ठ लेखाधिकारी (सा0) के कक्ष में प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे उपस्थिति एवं उस दिन की कार्य योजना की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना होगा एवं सांय को कार्य प्रगति से अवगत कराना आवश्यक होगा।

(8) मुख्यालय द्वारा 31–3–16 पर शेष व्यापारिक स्कंध एवं अन्य परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन कराने के लिए आवश्यक निर्देश क्र./लेखा/सा/10569/16 दिनांक 14–03–16 से जारी किये गये हैं। अतः इन निर्देशों के अनुसार भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन दिनांक 16–04–16 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(9) लेखा शाखा सामान्य को प्रस्तुत किये जाने वाले सभी पत्रकों का सेट संलग्न परिशिष्ठ क्रमांक–1 अनुसार तैयार किये जाये। वर्ष 2015–16 के दौरान ब्याज प्राप्ति/ब्याज भुगतान/पूर्व वर्षो से संबंधित आय/पूर्व वर्षो से संबंधित व्यय आदि मदों में लेखाकन का विवरण संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ–2 में वित्तीय पत्रकों के साथ ही प्रस्तुत करना है। उक्त जानकारी आयकर विवरणी हेतु अनिवार्य है।

(10) सम्पत्तियों पर अवक्षयण की गणना "सीधी रेखा पद्वति" के आधार पर सपात्त के क्रय मूल्य पर की जानी है तथा वर्ष के दौरान क्रय की गई संपत्ति पर पूरे वर्ष के लिए अवक्षयण निम्नलिखित दर से गणना करते हुए लाभ हानि खाते में प्रभारित करना है :–

1–	भूमि भवन/गोदाम	1.63 प्रतिशत
2–	फर्नीचर एवं डेडस्टाक	6.33 प्रतिशत
3–	वाहन	9.50 प्रतिशत
4–	कम्प्यूटर	16.21 प्रतिशत
5–	संयत्र एवं उपकरण	4.75 प्रतिशत
6–	विद्युत फिटिंगस	6.33 प्रतिशत

समस्त जिलों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही उपरोक्त अवक्षयण गणना पत्रक परिशिष्ठ क्रमांक–4 के अनुसार तैयार कर लावेंगे एवं उपस्थिति के प्रथम दिवस को लेखा शाखा सामान्य में जॉच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

(11) पूर्व वर्ष के अनुसार अंतिम वित्तीय पत्रकों और जानकारियों के अतिरिक्त विभिन्न शाखाओं को उनसे संबंधित व्यवसायों की जानकारी गत वर्षानुसार या वर्ष 2015–16 में उनके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रस्तुत की जाये।

(12) गत वर्ष अनुसार इस वर्ष के भंडारण लेखों का मिलान करने के लिए लेखाकर्मी के साथ गोदाम अधीक्षक भी आयेंगे। वे अपने साथ मुख्यालय और स्थानीय स्तर से जारी किये गये आरक्षण आदेशों की प्रतियाँ, बिल पंजी भंडारण देयकों की कार्यलयीन प्रतियॉ आदि साथ लायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय तथा स्थानीय स्तर से भंडारण शुल्क/किराये के भुगतान में से भुगतानकर्ता से प्राप्त सर्विस टैक्स तथा उसके भुगतान की जानकारी भी साथ में लायें। इसी प्रकार भंडारण व्ययों एवं बकाया राशियों के विवरण भी तैयार करें, जिससे कि मिलान कार्य में लगने वाले अधिक समय को बचाया जा सके।

(13) आपके जिले में वर्ष 2015–16 में भंडारण गोदामों के संचालन में अर्जित शुद्व आय के आंकलन के प्रारूप गत वर्ष अनुसार ही निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से लेखा पुस्तकों के आधार पर भंडारण सबंधी आय और व्ययों को दर्शाया जाकर शुद्व आय का आंकलन किया जाना है।

(14) वित्तीय पत्रकों के साथ बैंकों के चालू खाते जिला सहकारी और अपेक्स बैंकों से विभिन्न व्यवसायों से संबंधित खातों का मिलान पत्रक तथा 31–3–16 पर बैंकों से शेष जमा राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अतः आप बैंकों से संबंधित खातों का मिलान अनिवार्य रूप से करलें एवं संबंधित बैंकों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। बैंक खातों में लंबित पूर्व वर्षो की प्रविष्टियों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। बैंक खातों में किसी प्रकार का अंतर मान्य नहीं होगा।

समस्त जिलों के लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी लेखा मिलान में उपस्थित होने से पूर्व ही अपने जिले के समस्त बैंकों के बैंक समाधान पत्रक परिशिष्ठ क्रमांक–5 के अनुसार तैयार करके रखेंगे एवं उपस्थिति के प्रथम दिवसीय समस्त बैंक समाधान पत्रक लेखा सामान्य को जॉच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(15) लेखाकर्मी अपने साथ स्कंध पत्रक, स्थिति विवरण की सूचियॉ तथा वांछित जानकारियॉ पूर्व से तैयार कर लायेंगे, ताकि अंतिम लेखे तैयार करने में कम से कम समय लगे। मंडल कार्यालय स्तर के व्ययों का टर्न औव्हर के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र के जिला/इकाईयों में विभाजित करते हुए एडवाइस शीघ्र भेंजे, जिससे उन जिलों का मुख्यालय स्तर पर लेखा मिलान में व्यवधान उत्पन्न न हो। लेखा मिलान कार्य पूर्ण कर अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

(16) मुख्यालय में अंतिम वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन में वित्तीय पत्रकों का अंकेक्षण पूर्ण कराया जाकर अंकेक्षित वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा। अतः आप अपने कार्यालय का अंकेक्षण पूर्ण कराने की ओर विशेष ध्यान देंगे। आवश्यक होने पर स्थानीय सहायक/उप पंजीयक से सम्पर्क स्थापित कर अंकेक्षण पूर्ण कराने हेतु अनुरोध करें।

(17) विपणन संघ को नियत तिथि तक आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए संकलित वित्तीय पत्रक तैयार कर उनको वैधानिक एवं टैक्स आडिट करना होता है। नियत तिथि पर आयकर विवरणी प्रस्तुत न करने पर संघ के विरूद्व आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। जिस कार्यालय की देरी के कारण यदि संघ पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित होता है या अन्य कार्यवाही होती है तो उसके लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख जबाबदार होगा।

(18) दिनांक 31-03-16 पर व्यवसायवार एवं अन्य मदों में बकाया राशियों की वसूली योग्य राशि एवं डूबन्त तथा संदिग्ध राशि का वर्गीकरण संलग्न प्रपत्र के अनुसार किया जाना है। अतः जिला कार्यालय एवं इकाईयॉ लेखा मिलान के समय उक्त प्रपत्र में जानकारी तैयार कर प्रस्तुत करें।

(19) मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में किन्ही भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः आप कार्यक्रम के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में लेखा मिलान के लिए उपस्थित नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख और लेखा प्रभारी जिम्मेदार होंगे।

(20) पूर्व वर्षो में पत्रकों की जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि व्यवसायिक कक्षों में प्रस्तुत पत्रकों और लेखा सामान्य कक्ष में प्रस्तुत पत्रकों में विशेषतःव्यापार पत्रक में अंतर दर्शित होता है। अतः व्यवसायिक कक्षों द्वारा जिला कार्यालयों के व्यापरिक पत्रक उस जिले के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के मिलान उपरान्त ही स्वीकार करना सुनिश्चित करेंगे। यह स्थिति संकलन के समय संज्ञान में आने पर असुविधाजनक होती है। अतः इसका पूर्ण ध्यान रखा जाये।

(21) मुख्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक/लेखा/कराधान/5929 दिनांक 26-10-09 एवं कराधान शाखा से ई-मेल दिनांक 31-10-15 से वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रभावशील स्त्रोत पर आयकर की कटौती (टी.डी.एस.) के निर्देश ज़ारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अंतर्गत जो पार्टियां टी.डी.एस. की कटौती की श्रेणी में आती है,उनसे निर्धारित दर से आपको टी.डी.एस. की कटौती की जाकर निर्धारित समय सीमा में टी.डी.एस. कटौती की राशि बैंक में निर्धारित चालान से जमा करने के निर्देश दिये गये थे। जमा करने की निर्धारित समय सीमा के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पार्टी को जिस माह में बिल क्रेडिट किया गया हो अथवा अग्रिम का भुगतान टी.डी.एस की कटौती करके की गई है, तो कटौती की राशि आगामी माह की 7 तारीख तक चालान द्वारा बैंक में जमा की जानी थी। यदि किसी पार्टी को 31-3-16 तक भुगतान नही किया गया है, किन्तु उसे देय राशियां समायोजन द्वारा 31-3-16 पर पार्टी के खाते में जमा की गई है, तो ऐसी देय राशि पर टी.डी.एस. की राशि को जमा करने की तिथि वर्षान्त से 30 दिन अर्थात् दिनांक 30-4-16 तक होगी। यदि उक्त दोनों बिन्दुओं के अनुसार टी.डी.एस. की राशि जमा नहीं हुई है तो इसे विलम्ब के अंतर्गत जमा किया जाना माना जावेगा, जिसके लिए आयकर अधिनियम में दण्ड का प्रावधान है।

अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिन पार्टियों से टी.डी.एस. की कटौती की जाना है किन्तु उनके भुगतान 31-3-16 तक नही किया गया है, तो ऐसी पार्टियों से 31-3-16 तक की अवधि के बिल तुरन्त प्राप्त किये जावें तथा उनको विधिवत सूचित किया जाकर 31-3-16 पर उनको देय राशि उनके खाते में जमा की जावे तथा टी.डी.एस. की राशि टी.डी.एस. देय खाते में जमा की जावे। ऐसे समायोजन किये गये टी.डी.एस. का भुगतान वर्षान्त 31-3-16 से 30 दिन की अवधि दिनांक 30-4-16 तक आवश्यक रूप से चालान द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके द्वारा विभिन्न पार्टियों से स्त्रोत पर की गयी आयकर की कटौती की जानकारी संलग्न प्रारूप परिशिष्ट-5 में लेखा मिलान के समय कराधान शाखा प्रस्तुत किया जाना है। जिन पार्टियों का टी.डी.एस. कटौत्रा वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया है उनसे संबंधित फार्म 16A भी दिनांक 30-5-16 से पूर्व जारी करें। इस संबंध में प्रारूप के नीचे दी गई टीप का भलीभॉति अवलोकन कर लें एंव तदनुसार प्रारूप में जानकारी देवें।

(22) विपणन संघ को ब्याज, गोदाम किराया, भंडारण शुल्क आदि के भुगतान के समय भुगतानकर्ता द्वारा स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई हो तो ऐसी कटौती के टी.डी.एस. प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भुगतानकर्ता से प्राप्त किया जाये एवं ऐसे प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेखा मिलान के समय कराधान शाखा को मूलतः उपलब्ध कराई जावे। भुगतानकर्ता से टी.डी.एस. प्रमाण पत्र लेते समय उनकी जॉच करें कि उसके सभी कालम भरे हुए हैं तथा

जारीकर्ता पार्टी के **सील सहित मूल हस्ताक्षर** अंकित हों। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण टी.डी.एस. प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं **किए जायेंगे** एवं ऐसे प्रमाण पत्र सही कराकर प्रस्तुत करने की जवाबदारी कार्यालय **प्रमुख की होगी**। अतः अपने सहायक लेखाधिकारी को लेखा मिलान हेतु मुख्यालय भेजने के **पूर्व उक्त कार्यवाही पूर्ण** किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(23) गत वर्ष की भॅति वर्ष **2015-16 में भी रासायनिक** उर्वरक, पौध संरक्षण, कृषि यंत्र एवं अन्य मदों के सबंध में **देयकवार विवरण** निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ क्रमांक-6 मे (1 से 8 तक) अंतिम वित्तीय पत्रकों के **प्रस्तुतीकरण** के समय ही किया जाना है। उक्त जानकारी पूर्व में वेट एवं प्रवेश कर **निर्धारण के समय प्रस्तुत** की जाती रही है। अतः उक्तानुसार समस्त मदों के संबंध में देयकवार **विवरण (बिल वाईस डिटेल)** अनिवार्य रूप से कराधान शाखा को प्रस्तुत करें।

(24) वित्तीय वर्ष 2014-15 **के टैक्स आडिट** हेतु पत्र क्रमाक/लेखा/कराधान/4689 दिनांक 03-9-2015 से से **मांगी गयी जानकारी** वित्तीय वर्ष 2015-16 के टैक्स आडिट हेतु भी प्रस्तुत की जानी है। अतः **परिशिष्ठ क्रमांक-7** (प्रारूप 1 से 3) अनुसार जानकारी निर्धारित प्रारूप में **लेखा मिलान के समय प्रस्तुत करें**।

(25) वर्ष 2015-16 में **दिनांक 31-3-16 पर 5 वर्ष व उससे** अधिक एवं 5 वर्ष से कम मदवार वसूली की जानकारी **संलग्न प्रारूप कमांक-परिशिष्ट -8 में** एवं 31 मार्च 16 को लेखा पुस्तकों में दर्शित लेनदारी की **आयुवार**, मदवार एवं पार्टीवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट कमांक-9 में ऑतरिक **अंकेक्षण शाखा मुख्यालय** को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय सीमा तथा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखा मिलान कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये, जिससे कि वैधानिक दायित्वों की पूर्ति समय सीमा में हो सके।

संलग्न-यथोक्त।

(मनीष कुमार जोशी)
मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक

पृ. क्रमांक/लेखा/सामान्य/ 10768/16 भोपाल, दिनांक 18/3/2016

प्रतिलिपि :-

(1) मंडल प्रबंधक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.(समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(2) महाप्रबंधक (उपार्जन एवं मिलिंग शाखा) मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(3) महाप्रबंधक (भंडारण), मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(4) महाप्रबंधक (परिवहन), मुख्यालय भोपाल को सूचनार्थ।
(5) प्रभारी महाप्रबंधक (विपणन/ स्थापना) मुख्यालय भोपाल। कृपया अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(6) उप मुख्यलेखाधिकारी (कृषि साधन/कराधान/देयक/कैश) मुख्यालय भोपाल। अपने कक्ष से संबंधित जानकारी के प्रारूप निर्धारित कर जिला कार्यालय/इकाईयों को अविलम्ब अवगत करायें।
(7) प्रबंधक (कृषि साधन) मुख्यालय भोपाल को सूचनार्थ।
(8) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, मुख्या. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(9) प्रबंध संचालक के निज सहायक को प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ।
(10) सचिव के निज सहायक को सचिव महोदय के सूचनार्थ।

मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक

लेखा वर्ष 2015–16 के लिए लेखा मिलान कार्यक्रम

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	लेखा मिलान हेतु उपस्थित होने की निर्धारित तिथि
01	पशु आहार भोपाल, जिला कार्यालय उज्जैन, टीकमगढ़, पन्ना, मंदसौर, छतरपुर, श्योपुर, देवास, भोपाल।	20.4.16 से 23.4.16 तक
02	जिला कार्यालय दमोह, शहडोल, राजगढ़, खंडवा, खरगौन, बड़वानी सीधी, सागर,सतना,।	25.4.16 से 27.4.16 तक
03	जिला कार्यालय विदिशा, इंदौर, झाबुआ, मंडला, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा, शाजापुर, धार, रतलाम।	28.4.16 से 30.4.16 तक
04	जिला कार्यालय सीहोर, बालाघाट, जबलपुर, दतिया, होशंगाबाद, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर।	02.5.16 से 04.5.16 तक
05	जिला कार्यालय गुना, बैतूल रायसेन, सिवनी, नरसिंहपुर, शिवपुरी ।	05.5.16 से 07.5.16 तक

मुख्यलेखाधिकारी ,सह वित्तीय नियंत्रक

परिशिष्ट क्रमांक–1

लेखा शाखा सामान्य कक्ष को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम वित्तीय पत्रकों की सूची

1. आय व्यय पत्रक (तलपट)।
2. व्यापारिक लेखा पत्रक।
3. लाभ–हानि पत्रक (संलग्न प्रारूप क्र. 10 में)।
4. बैलेन्सशीट (संलग्न प्रारूप क्र. 11 में)।
5. अंतिम स्कंध के मूल्यांकन की संकलित सूची।
6. वस्तुवार स्कंध पत्रक व्यापारिक खाते में क्रम के अनुसार।
7. स्थानान्तरण खरीदी की सूची व्यापारिक खाते में क्रम के अनुसार।
8. स्थानान्तरण विक्रय की सूची व्यापारिक खाते में क्रम के अनुसार।
9. वस्तुवार अंतिम स्कंध मूल्यांकन की सूची व्यापारिक खाते के अनुसार।
10. देनदारियों की सूची बैलेन्सशीट के अनुसार।
11. सम्पत्तियों की सूची एवं अवक्षयण पत्रक।
12. लेनदारियों की सूची बैलेन्सशीट के क्रम से।
13. बैंक समाधान पत्रक स्टेटमेंट बैंक प्रमाण पत्र सहित।
14. धान चावल एवं गेहूं उपार्जन से संबंधित निर्धारित प्रपत्र।
15. ब्याज प्राप्ति खाता/ब्याज भुगतान खाते की जानकारी संलग्न प्रारूप में।
16. पूर्व वर्षो से संबंधित आय/व्यय से संबंधित जानकारी संलग्न प्रारूप में।

–0–

Dwivedi
वरिष्ठ लेखाधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–2

(अ) **ब्याज प्राप्ति खाता का विवरण वर्ष 2015–16**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि कहाँ से प्राप्त हुई	सहकारी क्षेत्र से	गैर सहकारी क्षेत्र से	योग
कुल योग					

(ब) **ब्याज भुगतान खाता का विवरण वर्ष 2015–16**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि जिसे भुगतान की गई	राशि
कुल योग			

(स) **पूर्व वर्षो से संबंधित आय का विवरण वर्ष 2015–16**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि कहाँ से प्राप्त हुई	राशि
कुल योग			

(द) **पूर्व वर्षो से संबंधित व्यय का विवरण वर्ष 2015–16**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	राशि किसे भुगतान की गई	राशि
कुल योग			

सहा0 लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

............................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–3

स्त्रोत पर आयकर कटौती का विवरण

क्र.	पार्टी का नाम	डी.डी./चेक कमांक	दिनांक	सकल राशि	डी.डी.एस. की राशि	सरचार्ज	शुद्व राशि

सहा0 लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

............................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–4

आयकर अधिनियम के अंतर्गत अवक्षयण की गणना हेतु स्थाई एवं अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय की जानकारी

संपत्ति का नाम	प्रारंभिक शेष 01.4.15	क्रय		स्थानांतरण क्रय		योग		विक्रय		स्थानांतरण विक्रय		योग		अंतिम शेष 31.03.16	
		01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16	01.04.15 से 30.09.15	01.10.15 से 31.03.16

सहा0 लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी
.............................(म0प्र0)

परिशिष्ठ क्रमांक–5

बैंक समाधान पत्रक दिनांक 31.03.2016

(राशि रू. में)

बैंक का नाम ....

	राशि	राशि
		....
लेखा पुस्तकों के अनुसार 31.03. 2016 पर बैंक शेष		
जोड़ा – 1– चेक निर्गमित किन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं :– दिनांक ...., चेक कमांक .... 2– चेक निर्गमित व प्रस्तुत किये गये किन्तु, बैंक मे क्लीयरिंग में लंबित :– दिनांक ...., चेक कमांक	....	....
घटाया– 1–चेक प्राप्त किन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं :– दिनांक ...., चेक कमांक .... 2–चेक प्रस्तुत किये गये, किन्तु बैंक मे क्लीयरिंग में लंबित :– दिनांक ...., चेक कमांक	....	....
बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण पत्र के अनुसार 31.3.16 पर बैंक शेष		....

सहा0 लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी
....(म0प्र)

परिशिष्ठ क्रमांक–6

प्रारूप क्रमांक–1 (अ)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादि, भोपाल शाखा ....

वस्तुवार विक्रय की जानकारी वर्ष 2015–16
01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्र.	वस्तु का नाम	लेजर के अनुसार विक्रय	वेट कर लेजर के अनुसार	कुल विक्रय	विक्रय का वर्गीकरण कालम 5 अनुसार							
					वेट कर सहित विक्रय							
		3=(6+9+10+11)		5=(3+4)	शुद्ध विक्रय मूल्य	वेट की राशि	कुल विक्रय 8=(6+7)	स्त्रोत पर टी.डी. एस. पर विक्रय	कर मुक्त विक्रय	कर चुके माल का विक्रय	अंतर्राज्यीय विक्रय	राज्य के बाहर विक्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप कमांक – 1 (ब)

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित ....

01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्र.	वस्तु का नाम	लेजर के अनुसार विक्रय	वेट कर / केन्द्रीय विक्रय कर	प्रवेश कर	कुल विक्रय	वेंट कर सहित विक्रय							राज्य के बाहर विक्रय			
		कॉलम नम्बर–3=का.न. (6+9+10+11+12+13)		(राज्य के बाहर+ राज्य के अंदर)		विक्रय मूल्य	वेट की राशि	कुल विक्रय	स्त्रोत पर टी.डी. एस. पर विक्रय	कर मुक्त विक्रय	कर चुके माल का प्रवेश कर विक्रय	अंतर्राज्यीय विक्रय	लेजर के अनुसार विक्रय	केन्द्रीय विकय कर	प्रवेश कर	विकय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fertilizer															
2	Agri. Mach.															
3	Pesticide															
4	Paddy sale															
5	Gunny Bag												0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

जिला विपणन अधिकारी

सहायक लेखाधिकारी

नोट :– केवल धान से संबधित जिलों का प्रारूप

प्रारूप क्रमांक–2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादि, भोपाल शाखा ....

वस्तुवार क्रय की जानकारी वर्ष 2015–16
01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्र.	वस्तु का नाम	लेजर अनुसार कुल क्रय	क्रय का वर्गीकरण								
			राज्य के अन्दर पंजीकृत व्यवसायी से वेट सहित क्रय								
		3=(4+7+8+9+10+12)	क्रय मूल्य	वेट की राशि	कुल क्रय मूल्य	स्त्रोत पर टी.डी.एस. पर क्रय	कर मुक्त क्रय	कर चुकी क्रय	प्रदेश के बाहर से क्रय	प्रवेश कर	अपंजीयत व्यापारी कृषकों से क्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक--3

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ....

01.04.2015 से 31.03.2016 तक राज्य के अंदर वेट कर भुगतान कर खरीदी की सूची

क्रमाक	व्यापारी का नाम	टिन क्रमाक	कुल क्रय राशि
1	2	3	4
कुल क्रय			

सहा.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–4

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ....

प्रांत के अंदर के व्यवसायी से खरीदी की बिलवार सूची दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	क्रय मूल्य	वेट की राशि	कुल क्रय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग ...									

सहा.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–5

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ....

प्रान्त के बाहर के व्यवसायी से खरीदी दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

सहा.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–6

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ....

स्त्रोत पर टी.डी.एस. के विरूद्ध तिलहन की बिक्री दर्शाने वाला पत्रक म.प्र.के भीतर दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	टिन क्रमांक	बिल क्रमांक	दिनांक	बिल अनुसार राशि	स्त्रोत पर टी.डी.एस. की राशि	अंतर की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–7

मध्यप्रदेश राज्य संहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल शाखा ... .

व्यवसायी से खरीदी गई करमुक्त मदों की सूची दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्रमांक	वस्तु का नाम	विक्रेता पार्टी का नाम	स्थान	बिल क्रमांक	दिनांक	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
योग						

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–8

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला ....

गेहूँ उपार्जन क्रय पर व विभिन्न उपार्जन मदों की सूची दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक

क्र.	वस्तु का विवरण	लेजर के अनुसार राशि	क्रय मात्रा	न्यूनतम समर्थन मूल्य	मंडी एवं निराश्रित टैक्स	मण्डी लेबर व्यय	समिति कमीशन	परिवहन व्यय	मण्डारण व्यय	ब्याज व्यय	क्रय कर	स्टेशनरी /प्रिंटिंग /प्रचार व्यय	रनर ऑपरेटर व्यय	वहन व्यय	अन्य व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	क्रय (न्यूनतम समर्थन मूल्य) (MSP)														
2	उपार्जन मदें (PROCUREME-NT INCIDENTAL)														
योग															

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ठ क्रमांक–7

प्रारूप क्रमांक–1

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय ....

वित्तीय वर्ष 2015–16 की टी0डी0एस0 कटौत्रा सम्बन्धी जानकारी

{ए} ऐसे भुगतान जिस पर टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है :–

क्रमांक	भुगतान तिथि	भुगतान राशि	भुगतान का प्रकार	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम एवं पता
1	2	3	4	5

{बी} ऐसे भुगतान जिस पर टी0डी0एस0कटौत्रा किया गया है परन्तु जिसको उसी वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया गया है :–

क्रमांक	भुगतान तिथि	भुगतान राशि	भुगतान का प्रकार	भुगतानप्राप्त कर्ता का नाम एवं पता	टैक्स कटौत्रा की राशि	टैक्स की राशि{यदि जमा की गई हो }
1	2	3	4	5	6	7

नोट :– {1} टेबल {ए }में ऐसे भुगतान दर्शाये जाने है जिस पर टी.डी.एस. कटौत्रा का दायित्व था,परन्तु टी.डी.एस.कटौत्रा नहीं किया गया ।

{2} टेबल {बी} में ऐसे भुगतानों का विवरण दर्शाया जाना है,जिन पर टी.डी.एस.कटौत्रा किया गया है,परन्तु जमा नहीं किया गया है अथवा कम जमा किया गया है ।

{3}उक्तानुसार यदि ऐसी कोई राशि नहीं भी है,तब भी उक्त तालिका में जानकारी निरंक भरकर संयुक्त हस्ताक्षर से भेजी जानी है ।

जिला विपणन अधिकारी

सहा.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

प्रारूप क्रमांक–2

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय............

वित्तीय वर्ष 2015–16 में टी0डी0एस0 कटौत्रा की राशि का विवरण

क्रमांक	टेन संख्या {TAN NO}	धारा जिसके अन्तर्गत टैक्स कटौत्रा किया गया है	भुगतान का प्रकार	कालम नं.3 के अनुसार भुगतान के प्रकार की कुल राशि	कुल राशि जिस पर टी.डी.एस. कटौत्रा किया जाना चाहिये था	कालम नं.6 कि ऐसी राशि जिस पर निर्धारित दर अनुसार टी.डी.एस.कटौत्रा किया गया है	टेक्स कटौत्रा की कुल राशि	ऐसी राशि जिस पर निर्धारित दर से कम दर परटी.डी.एस. कटौत्रा किया गया है	कालम क्र. 8 की राशि पर टैक्स कटौत्रा की राशि	ऐसी राशि जिस पर टैक्स शासन के खाते में जमा नहीं किया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										

सहा.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

प्रारूप क्रमांक–3

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला कार्यालय............

संघ द्वारा रिलेटेड व्यक्ति { अध्यक्ष एवं संचालक } को किये गये भुगतान की जानकारी

क0	नाम	पेन संख्या	अध्यक्ष / संचालक	भुगतान का प्रकार	राशि
1	2	3	4	5	6

नोटः– विभिन्न बैठकों जैसे समन्वय समिति की बैठक या अन्य किसी मद में संघ के अध्यक्ष एवं संचालकों को कोई भुगतान किया गया है, तो ऐसा भुगतान उक्त तालिका में दर्शाया जाना है । पेन संख्या उपलब्ध है तो अनिवार्य रूप से दर्शायी जानी है ।

सहा.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी

जिला विपणन अधिकारी

दिनांक 31.03.2015 पर बकाया राशि की मदवार वसूली की जानकारी का पत्रक (परिशिष्ट/प्रारूप-6)

संकलित क्र.	मूल मद का नाम	मूल मद में शामिल पार्टीवार वर्गीकरण	आयुवार वर्गीकरण: 5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	आयुवार वर्गीकरण: 5 वर्ष से कम (ब)	दिनांक 31.03.2015 पर कुल बकाया राशि(अ+ ब)	चालू वर्ष 1.4.2015 से 31.3.16 तक	दिनांक 31.03.2016 तक वसूल की गई राशि: 5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	5 वर्ष से कम (ब)	चालू वर्ष 1.4.2015 से 31.3.16 तक	कुल वसूल की गई राशि	दिनांक 31.03.2016 तक बकाया/शेष राशि: 5 वर्ष व उससे अधिक (अ)	5 वर्ष से कम (ब)	चालू वर्ष 1.4.2015 से 31.3.16 तक शेष	कुल शेष राशि	लंबित रहने का कारण	निराकरण हेतु किये गये प्रयास
						2015-2016										
			2010-11 व इससे पूर्व के	2010-11 से 2014-15 तक	4+5=6		विरुद्ध कॉलम नंबर 4	विरुद्ध कॉलम नंबर 5	विरुद्ध कॉलम नंबर 7	8+9+10=11	4-8=12	5-9=13	7-10=14	12+13+14=15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BAD AND DAOUBT DEBTS															
2	BILLS RECEIVABLE AM															
	1- DDA															
	2- CCB															
	3- OTHER															
3	BILLS RECEIVABLE FARTILIZER															
	1- DDA															
	2- CCB															
	3- FCI															
	4- PSU															
	5- OTHER															
4	BILLS RECEIVABLE GENERAL															
5	BILLS RECEIVABLE MARKETING (PADDY)															
	1- FCI															
	2- NAN/FCI															
	3- NAFED															
	4- MPSCS															
	5- OTHER															
6	BILLS RECEIVABLE MARKETING (WHEAT)															
	1- FCI															
	2- NAN/FCI															
	3- NAFED															
	4- MPSCS															
	5- OTHER															
7	BILLS RECEIVABLE PEST/SEED															
	1- DDA															
	2- OTHER															
	3- CCB															
8	BILLS RECEIVABLE PETROL PUMP															
9	BILLS RECEIVABLE STORAGE															
	1- NAN															
	2- NAFED															
	3- OTHER															
10	COC /CCB															
11	ADVANCE TO DIRECTOR															
12	INDIVIDUAL															
13	MIS APPR RECOVERABLE															
14	SALE PROC SEED/PEST. APEX															
15	SALE PROC FERT- APEX															
16	SALE PROC FERT- CCB															
17	SALE PROC SEED/PEST.CCB															
18	SUNDRY DEBTORS															
19	ADVANCE TO STAFF															
20	TRADE ADVANCE															
21	TDR RICIVEBAL															
22	PARTNERSSHIP															
23	CHHATISGARH MAKFED															
	TOTAL															

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल

31 मार्च 2016 को लेखा पुस्तकों में दर्शित लेनदारियों का पत्रक (बेलेन्स शीट के अनुसार)

(परिशिष्ट/प्रारूप-9)

क.	विवरण	पांच वर्ष वां से अधिक	तीन वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	दो वर्ष से कम	योग
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	योग					

टीप :- 31 मार्च 2016 में लेखा पुस्तको में दर्शित लेनदारियों का पार्टीवाईज पत्रक एवं हार्ड कापी (पेन ड्राईव) में भी प्रेषित करना होगा ।

D:\D Drive Data\LEKHA MILAN PRAROOP 2014-15\jila ke patrak\OUT ST. 5 YEAR VASULI OUT ST. VASULI 13-14ratlamOUT ST. 5 YEAR VASULI OUT ST. VASULI 13-14ratlamBills RICIVEBAL

परिशिष्ट क्रमांक–10

M.P. STATE CO-OP. MARKETING FEDERATION LIMITED ....
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16

EXPENDITURE	AMOUNT	TOTAL AMOUNT	INCOME	AMOUNT	TOTAL AMOUNT
ESTABLISHMENT EXPENSES		-	GROSS PROFIT/LOSS		-
SALARY & ALLOWANCE	-		INCOME		-
LEAVE SALARY / LEAVE IN CASHMENT	-		GODOWN RENT & STORAGE INCOME	-	
BONUS PAID TO STAFF	-		LEASE RENT INCOME	-	
ESI CONTRIBUTION	-		INTEREST FROM CO-OP. SECTOR	-	
CONVEYANCE EXPENSES	-		INTEREST FROM NON CO-OP. SECTOR	-	
KITS & LIVERIES	-		PRIOR PERIOD INCOME	-	
ADMINISTRATION EXPENSES		-	PROFIT ON GUNNIES BAGES	-	
T.A. TO DIRECTORS	-		COMMISSION EARNED	-	
T.A. TO STAFF	-		MISCELLANEOUS INCOME	-	
CONSULTANCY FEES / PROJECT EXP.	-		SUPERVISION CHARGES	-	
OFFICE ELECTRICITY CHARGES	-				
ENTERTAINMENT EXPENSES	-				
MEETING EXPENSES	-				
OFFICE CONTINGENCIES EXP.	-				
POSTAGE & TELEGRAM	-				
PROPERTY TAX EXP.	-				
OFFICE RENT / HIRE CHARGES	-				
REPAIR & MAINT. OF COMPUTER & PRINTERS	-				
REPAIR & MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING	-				
REPAIR & MAINTENANCE OF OFFICE EQUIPMENT	-				
STATIONERY & PRINTING EXP.	-				
TELEPHONE & FAX EXPENSES	-				
VEHICLE EXPENSES	-				
TAXI EXPENSES	-				
WATER CHARGES	-				
OFFICE OVERHEAD EXPENSES		-			
CLEANING EXPENSES	-				
COURT & LEGAL EXPENSES	-				
DEPRECIATION CHARGES	-				
DUNNAGE SHEET EXP.	-				
FUMIGATION EXPENSES	-				
INSURANCE EXPENSES	-				
LEASE RENT EXPENSES	-				
LICENCE FEES EXPENSES	-				
NEWS PAPER / BOOKS & PRIODICALS	-				
STORAGE EXPENSES	-				
SALES OVERHEAD EXPENSES		-			
PUBLICITY & ADVERTISEMENT EXP.	-				
EXSIBITION EXPENSES	-				
FINANCIAL OVERHEAD		-			
BANK CHARGES	-				
INTEREST ON BANK LIMIT	-				
REMITTANCE CHARGES [FERTILIZER]	-				
PRIOR PERIOD EXPENSES	-	-			
LOSS BY NATURAL CALAMITIES / THEFT	-	-			
TOTAL EXP.		-			
NET PROFIT (+)		-			
GRAND TOTAL		-	GRAND TOTAL		-

ACCOUNTS OFFICER　　　　DMO　　　　AUDITOR

M.P.STATE CO-OP. MARKETING FEDERATION LIMITED - ....

BALANCE SHEET AS ON 31-03-2016

LIABILITIES	AMOUNT	TOTAL AMOUNT	ASSETS	AMOUNT	TOTAL AMOUNT
FUNDS & RESERVE		-	FIXED ASSETS		-
DEPRECIATION FUND ON LAND,BUILDING & GODOWN	-		LAND,BUILDING & GODOWN	-	
DEPRECIATION FUND ON PLANT & MACHINERY	-		PLANT & MACHINERY	-	
DEPRECIATION FUND ON RICE MILL & FACTORY	-		RICE MILL & FACTORY	-	
DEPRECIATION FUND ON COLD STORAGE	-		COLD STORAGE	-	
DEPRECIATION FUND ON FURNITURE & FIXTURE	-		OTHER ASSETS		-
DEPRECIATION FUND ON TEMPRORY SHED	-		FURNITURE & FIXTURE	-	
DEPRECIATION FUND ON VEHICLES	-		TEMPRORY SHED	-	
DEPRECIATION FUND ON COMPUTER & EQUIPMENT	-		STORE MATARIALS	-	
BORROWING		-	COMPUTER & EQUIPMENT	-	
BANK OVERDRAFT	-		INVESTMENT		-
PROVISIONS		-	GOVT. SECURITIES	-	
SHORTAGE / MISAPPR	-		FDR S	-	
OTHER UNFO PAYABLE	-		TRADE & OTHER SECURITY	-	
TELEPHONE & ELECTRICITY	-		ADVANCES		-
DUTIES & TAXES		-	DEPOSIT FOR COURT CASE LITICATION	-	
TDS PAYABLE	-		FEDERATION STAFF	-	
ENTRY TAX PAYABLE	-		ADVANCE TO DIRECTORS	-	
INCOME TAX & PROF. TAX PAYABLE	-		ADVANCE TO INDIVIDUALS	-	
PSS WHEAT PURCHASE TAX PAYABLE	-		ADVANCE TO CO-OP'S / CCB	-	
VAT / SALES TAX PAYABLE	-		TRADE ADVANCES	-	
SERVICE TAX PAYABLE		-	PREPAID INSURANCE	-	
CST PAYABLE	-		BILLS & OTHER RECEIVABLES	-	
DEPOSITS			BILLS RECEIVABLE GENERAL		-
TRADE DEPOSITS	-		BILLS RECEIVABLE FERTILIZERS	-	
EMD & SECURITY DEPOSITS	-		BILLS RECEIVABLE PEST./SEEDS	-	
TRADE CREDITORS	-		BILLS RECEIVABLE AGRI. MACH.	-	
SUSPANSE DEPOSITS	-		BILLS RECEIVABLE STORAGE	-	
JOINT VENTURE ADVANCE A/C		-	BILLS RECEIVABLE MARKETING	-	
ADVANCE RECEIVED	-		BAD & DOUBT DEBTS	-	
ADVANCE FROM DDA	-		MIS APPR RECOV.	-	
FORMER CONTRIBUTION	-	-	SALES PROC SEED / PEST - CCB	-	
DY. DIRECTOR VETONERY / HARTICULTURE		-	SALES PROC SEED / PESTI. - APEX	-	
CO-OP. SOCITIES / FOOD DEPT./ OTHER	-		SALES PROC FERT. -CCB	-	
BILLS & OTHER PAYABLES			SALES PROC FERT. -APEX	-	
BILLS PAYABLE GENERAL	-		BILLS RECEIVABLE PETROL PUMP	-	
BILLS PAYABLE FERTILIZERS	-		SUNDRY DEBTORS	-	
BILLS PAYABLE PESTICIDES	-		CLOSING STOCK IN TRADE	-	
BILLS PAYABLE AGRI. MACH.	-		JOINT VENTURE WITH NAFED	-	-
BILLS PAYABLE STORAGE	-		STOCK OTHER THEN TRADE	-	-
BILLS PAYABLE MARKETING	-		STOCK IN TRANSIT	-	
BILLS PAYABLE UNPAID SALARY / BONUS	-		GUNNY BAGS	-	-
BILLS PAYABLE GPF. / FPF./SBF./ ESI.	-		HDPE BAGS	-	
BILLS PAYABLE INSURANCE PREMIUM	-			-	
BILLS PAYABLE T.A. BILLS	-		CASH & BANK BALANCE		-
CONSIGNMENT PAYABLE			CASH IN HAND	-	
M.P. SEAD CORP.	-		CASH IN BANK DEPOSITS	-	
NAFED CULTURE		-	CASH IN TRANSIT	-	
H.O. LOAN [G]					
H.O. LOAN	-				
NET PROFIT [+] / LOSS [-]	-				
TOTAL		-	TOTAL		-

AAO | DMO | AUDITOR